

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, महोबा (नीलामी कमेटी)

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, महोबा परिसर में वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु जलपान गृह की नीलामी हेतु इच्छुक व्यक्ति नजारत कार्यालय में उपलब्ध शर्तों के अधीन दिनांक 27.07.2020 को समय 1:00 बजे दोपहर तक निर्धारित प्रारूप में फार्म भरकर नजारत अनुभाग में जमा कर उसी दिन समय सायं 4:00 बजे अपर जिला जज बलात् संग पाक्सो, महोबा के विश्राम कक्ष में समिति के समक्ष नीलामी में भाग ले सकते हैं।

दिनांक:-

Anamish Rai
अध्यक्ष १५/०७/२०
नीलामी कमेटी
जनपद न्यायालय, महोबा।

कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, महोबा।

नीलामी सूचना / शर्तें

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए जनपद न्यायालय महोबा परिसर में स्थित जलपान की दुकान, फोटोस्टेट की दुकान एवं पान की दुकान आदि की नीलामी माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित नीलामी समिति की उपस्थिति एवं निर्देशन में दिनांक 27.07.2020 को 4:00 बजे अध्यक्ष, नीलामी समिति/अपर जिला जज–बलात् संग पाक्सो, महोबा के विश्राम कक्ष में नीलामी सम्पन्न करायी जायेगी।

इच्छुक व्यक्ति नियंत तिथि समय एवं स्थान पर नीलामी में भाग लेने हेतु अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी) के साथ उपस्थित होंगे।

नीलामी होने वाली दुकानों का विवरण

1	ठेका जलपान (कैन्टीन)	1
2	ठेका पान सुपारी	1
3	ठेका फोटोस्टेट	1

1. यह ठेका दिनांक 01.08.2020 से 31.03.2021 तक कुल 08 माह के लिये वैद्य होगा।
2. जिस ठेकेदार के यहाँ ठेके से सम्बन्धित कोई भी धनराशि किसी भी समय का बकाया है, उसको यह उसके परिवार के सदस्यों का या प्रतिनिधि को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी प्रकार वह व्यक्ति ठेका प्राप्त भी कर लेता है तो इसकी जानकारी होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और उक्त दुकान की पुनः बोली करा दी जायेगी।
3. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को बोली बोलने हेतु सरकारी बोली (बिगत वित्तीय वर्ष की बोली की धनराशि पर 10 प्रतिशत जोड़कर) शुरू की जायेगी बोली कर्ता को बोली बोलने के पूर्व 10 प्रतिशत धनराशि जामानत के रूप में जमा करना होगी उसके उपरान्त ही बोली बोलने का अधिकार होगा। यदि बोलीकर्ता अधिकतम बोली बोलने के पश्चात ठेका नहीं लेता है जो उसकी 10 प्रतिशत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
4. जिसके पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत की जायेगी, उसे ठेके की 40 प्रतिशत धनराशि तत्काल जमा करना होगा तथा नीलामी की शेष धनराशि की प्रथम एवं द्वितीय किस्त 20–20 प्रतिशत की दो त्रैमास में एवं तृतीय किस्त 20 प्रतिशत की फरवरी माह के अन्तिम तारीक तक जमा करना होगी। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और पुनः नीलामी करा दिया जायेगी और बकाया धनराशि भू राजस्व के रूप में वसूल की जायेगी।
5. जिस ठेकेदार के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत होगी वह व्यक्ति अपनी दुकान स्वयं चलायेगा। अपने किसी रिश्तेदार, सगे सम्बन्धी या किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं करेगा। उपर्युक्त बातों की जानकारी किसी प्रकार होने पर दुकान का ठेका निरस्त करके जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी। और पुनः नीलामी करा दी जायेगी।
6. नीलामी में सबसे ऊँची बोली लगाने वाले के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत होगी किन्तु माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र सं 24 दिनांकित 18.12.1950 के अनुसार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये सबसे ऊँची बोली को निरस्त कर दें तथा किसी भी बोली को स्वीकृत कर लें।

7. जिस व्यक्ति के नाम ठेका होगा उसे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र सं 31/एस. दिनांकित 18.03.1988 में दी गयी शर्तों के अनुसार दुकानदार को बोली के पश्चात ₹ 100.00 का स्टैम्प लेकर आना होगा और अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा।
8. ठेकेदार को अपने दुकान के आस पास सफाई स्वयं करनी होगी। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्र सं 139 दिनांकित 18.03.1979 के अनुसार प्रत्येक सामानों की दर सूची प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा सत्यापित कराकर ऐसे स्थान पर लगायी जायेगी जहाँ से प्रत्येक ग्राहक आसानी से देख सकें।
9. माननीय जनपद न्यायाधीश, महोबा को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय स्वयं अथवा किसी व्यक्ति को अधिकृत करके खाद्य पदार्थों की दुकानों का हर प्रकार से निरीक्षण करा सकें।
10. जितनी भूमि दुकान करने हतु दी जायेगी, उसी में दुकान करना होगा।
11. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी व्यक्ति के दुकान का ठेका निरस्त कर दे या पुनः नीलामी करा दें और शासकीय नुकसान की वसूली उसके द्वारा या उसक सम्पत्ति से करा दें।

दिनांक:-

*Anum 2/20
अध्यक्ष 15/7/20
नीलामी कमेटी
जनपद न्यायालय, महोबा।*